राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

चैत्र 11, गुरुवार, शाके 1932–अप्रेल 1, 2010
Chaitra 11, Thursday, Saka 1932–April 1, 2010

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 1, 2010

संख्या प. 2 (21) विधि/2/2010:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 1 अप्रेल, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 3)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 1 अप्रेल, 2010 को प्राप्त हुई]

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.–इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2010 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.–राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया

जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3 से 10 तक के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.– राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''पांच लाख रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दस लाख रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 16 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (4) में,–

(i) विद्यमान खण्ड (छ) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''बीजक जारी करता है,'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बीजक जारी करता है; या'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''(ज) कोई व्यवहारी धारा 91 की उप–धारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित सूचना, कथन या विवरणी इसके अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्तुत करने में विफल हो गया है,''।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 20 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 20 की विद्यमान उप–धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप–धारा (3) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप–धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''(2क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किन्तु उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी, या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान रखने वाली किसी सहकारी सोसाइटी, या किसी नगरपालिका या जिला और खण्ड स्तर की किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधान–मण्डल की किसी विधि के

द्वारा या उसके अधीन गठित किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय को माल का विक्रय करता है, वहां ऐसा विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम, कंपनी, सहकारी सोसाइटी, नगरपालिका, पंचायतीराज संस्था, स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, कानूनी निकाय विक्रय करने वाले व्यवहारी को संदेय रकम में से ऐसे व्यवहारी द्वारा ऐसे माल पर संदेय कर के बराबर रकम की कटौती करेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसे समय में, जो विहित किया जाये, सरकारी खाते में निक्षिप्त या जमा करेगा।''।

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 23 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर–भीतर उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी वार्षिक विवरणी के आधार पर या, यथास्थिति, धारा 73 के अधीन फाइल की गयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।''।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

(i) विद्यमान उप–धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(4) जहां धारा 23 की उप–धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाले व्यवहारियों से भिन्न कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन वार्षिक विवरणी, या धारा 73 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर–भीतर फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।''।

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप–धारा (4) के पश्चात् और विद्यमान उप–धारा (5) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप–धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''(4क) जहां धारा 23 की उप–धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाला कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन वार्षिक विवरणी या धारा 73 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर–भीतर फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।''।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 37 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 37 की उप–धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयुक्त'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 51क का अंतःस्थापन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 51 के पश्चात् और विद्यमान धारा 52 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''51क. कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज को अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.–इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।''।

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 82 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 82 की उप–धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "स्वीकृत कर या अन्य रकम से अधिक शेष मांग" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "विवादित कर की रकम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

11. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ग का अन्तःस्थापन.–राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की विद्यमान धारा 3ख के पश्चात् और धारा 4 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"**3ग. नगरीय उपकर का उद्ग्रहण.**–(1) किसी उपभोक्ता द्वारा या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले किसी प्रदायक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए उपभुक्त ऊर्जा पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से "नगरीय उपकर" के नाम से उपकर राज्य सरकार के लिए उद्गृहीत और उसे संदत्त किया जायेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई उपकर ऐसी ऊर्जा पर उद्गृहीत नहीं किया जायेगा,–

(क) जिसका भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाये;

(ख) जिसका भारत सरकार द्वारा किसी भी रेलवे के संनिर्माण, रखरखाव या प्रचालन में उपभोग किया जाये;

(ग) जिसका किसी खेतिहर द्वारा कृषि कार्यों में उपभोग किया जाये;

(घ) जिसका राज्य में के नगरपालिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में उपभोग किया जाये;

(ङ) जिसका ऐसे नगरपालिक क्षेत्र में के घरेलू प्रवर्ग में उपभोग किया जाये, जहां उपभोग 100 यूनिट प्रति मास से अधिक न हो;

(च) जिसका निम्नलिखित वर्गों की संस्थाओं द्वारा उपभोग किया जाये, अर्थात्:–

(i) अस्पताल या औषधालय जो निजी लाभ के लिए नहीं चलाये जाते,

(ii) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं जो निजी लाभ के लिए नहीं चलायी जातीं,

(iii) पूजा के सार्वजनिक स्थान,

इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवनों या भवनों के भागों में उपभुक्त ऊर्जा पर इस उप–खण्ड के अधीन छूट लागू नहीं होगी;

(छ) जिसका उत्पादन 100 वोल्ट से अनधिक के वोल्टेज पर किया जाता हो।

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप–धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत् शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।

(3) इस धारा के अधीन संगृहीत उपकर नगरपालिक क्षेत्रों में आधारभूत सुख–सुविधाएं जैसे मार्गों पर प्रकाश, स्वच्छता, सड़कों का रख–रखाव और ऊर्जा संरक्षण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजन के लिए ''नगरपालिक क्षेत्र'' से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (XXXIX) में यथा परिभाषित नगरपालिक क्षेत्र अभिप्रेत है।''।

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2010

No. F. 2 (21) Vidhi/2/2010.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vitta Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 3) :–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2010

(Act No. 3 of 2010)

[Received the assent of the Governor on the 1st day of April, 2010]

An

Act

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2010-11 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:–

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title.–This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2010.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.–In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the pubic interest that provisions of clauses 3 to 10 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–In clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, for the existing expression "rupees five lacs", the expression "rupees ten lacs" shall be substituted.

4. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–In sub-section (4) of section 16 of the principal Act,–

(i) in the existing clause (g), for the existing expression "invoices", the expression "invoices; or" shall be substituted.

(ii) after the existing clause (g), so amended, the following new clause shall be added, namely:–

"(h) a dealer has failed to furnish information, statement or return as required by Commissioner under sub-section (2) of section 91 within the period specified thereunder-".

5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–After the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3) of section 20 of the principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:–

"(2A) Notwithstanding anything contained in this Act, but subject to the provisions of sub-section (2), where a registered dealer sells goods to a department of the State Government or to a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the State Government or a co-operative society having contribution of State Government in its share capital or a municipality or a Panchayati Raj Institution at district

and block level or any other local authority or statutory body constituted by or under a law of the State Legislature, such department, public sector undertaking, corporation, company, co-operative society, municipality, Panchayati Raj institution, local authority or statutory body, as the case may be, shall deduct from the amount payable to the selling dealer an amount equal to tax payable by such dealer on such goods and shall deposit or credit the same in the Government account, in the manner and in the time as may be prescribed.".

6. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–For the existing sub-section (1) of section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:–

"(1) Every registered dealer who has filed annual return or audit report for the year within the prescribed time shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed for that year on the basis of annual return filed under section 21 or, as the case may be, the audit report filed under section 73.".

7. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–In section 24 of the principal Act,–

(i) for the existing sub-section (4), the following shall be substituted, namely:–

"(4) Where a dealer, other than those who have opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23, does not file annual return under section 21, or audit report under section 73, within the prescribed time, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, assess the dealer on the basis of his books of accounts and if he fails to produce the same, to the best of his judgement.".

(ii) after the sub-section (4), so substituted, and before the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be inserted, namely:–

"(4A) Where a dealer who has opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23, does not file return for the quarter within the prescribed period under section 21, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, assess the dealer on the basis of his books of accounts and if he fails to produce the same, to the best of his judgement for the quarter.".

8. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–In sub-section (4) of section 37 of the principal Act, for the existing expression "Commissioner", the expression "Commissioner or any other officer authorised by him in this behalf", shall be substituted.

9. Insertion of section 51A, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–After the existing section 51 and before the existing section 52 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:–

"**51A. Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases.–**Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty payable for any period by any class of dealers, subject to such terms and conditions as may be specified in the notification.".

10. Amendment of section 82, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–In sub-section (3) of section 82 of the principal Act, for the existing expression "remaining demand over and above the admitted tax or other amounts", the expression "disputed tax amount" shall be substituted.

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

11. Insertion of section 3C, Rajasthan Act No. 12 of 1962.–After the existing section 3B and before section 4 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the following new section shall be inserted, namely:-

"**3C. Levy of urban cess.–**(1) There shall be levied for, and paid to, the State Government on the energy consumed by a consumer or by a person other than a supplier generating energy for his own use or consumption, a cess to be called "urban cess" at the rate of ten paise per unit:

Provided that no cess under this section shall be levied on the energy,-

(a) consumed by the Government of India;

(b) consumed in the construction, maintenance or operation of any Railway by the Government of India;

(c) consumed by a cultivator in agriculture operations;

(d) consumed in areas outside the municipal area in the State;

(e) consumed in domestic category in municipal area where consumption does not exceed 100 units per month;

(f) consumed by the following classes of institutions, namely:-

(i) hospitals or dispensaries, which are not maintained for private gain,

(ii) recognized educational institutions, which are not maintained for private gain,

(iii) places of public worship,

subject to the condition that the exemption under this sub-clause shall not be applicable to energy

consumed in buildings or part of buildings, used for commercial purposes;

(g) generated at voltage not exceeding 100 volts.

(2) The provisions of this Act or the rules made thereunder shall, so far as may be, apply in relation to levy, payment, interest, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1) as they apply to levy, payment, interest, computation and recovery of electricity duty payable under this Act.

(3) The cess collected under this section shall be utilized for the purpose of providing basic amenities like street lighting, sanitation, maintenance of roads and energy conservation in municipal areas.

Explanation.–For the purposes of this section "municipal area" means the municipal area as defined in clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009).".

एस. एस. कोठारी,
Principal Secretary to the Government.

12
Government Central Press, Jaipur.